DOI: 10.51220/hjssh.v7i1.11

Himalayan J. Soc.Sci. & Humanities Vol- 6 pp.79 - 85 , December, 2011, ISSN. 0975 - 9891

प्राथमिक शिक्षा-नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम ''2009''-एक अवलोकन

राम प्रकाश एवं जे0एस0 चांदपुरी*

विधि विभाग,

हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय परिसर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड

*विधि विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज देहरादून

Received: 17-08-2012 **Revised: 28-11-2012** **Accepted: 14-12-2012**

Abstract

किसी भी समाज के नागरिकों को शिक्षित होना उस समाज के विकास का सूचक है क्योंकि ये नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए एक सभ्य समाज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार हैं किसी भी लोकतांत्रित प्रणाली की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करता है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करने के साथ-साथ अपने समाज एवं राष्ट्र को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता हैं हमारे देश में यह कहा जाता है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। अत: शिक्षा ही एक व्यक्ति को गरीमा प्रदान करती हैं इस प्रकार शिक्षा का महत्व सर्वविदित है।

KEY-WORDS: प्राथमिक शिक्षा अधिकार, अधिनियम, मापदण्ड, विशेषतायें।

हमारे संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे। परन्तु उस समय की परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नही थी। अत: उन्होंने इस राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत स्थान दिया था तथा राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया था जो कि न्यायालयों में प्रवर्तनीय नही थे। संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता समझते हुऐ संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के पश्चात एक नया अनुच्छेद 21क जोड़ा गया है जो यह उपबन्धित करता हैं कि 'राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें, 6 वर्ष की आयु सें 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा'। इस प्रकार शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में अध्याय 3 में शामिल करके विधि द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया है।

शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

संविधान निर्माताओं ने संविधान के कुछ अनुच्छेदों में शिक्षा के अधिकार को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में रखा था परन्तु वर्तमान में यह मूल अधिकार है महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:-

अनुच्छेद 21 क-भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद

©SHARAD

21 के पश्चात 21क जोड़ा गया है। जिसके अनुसार-राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 41-कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार-राज्य अपनी सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभ पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद 45-भारतीय संविधान का अनु 45 उपबंधित करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उपबन्ध करेगा।

इस प्रकार अनु 45 में संशोधन करके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व तय किया गया है। उक्त संशोधान के साथ संविधान के भाग 4 में मूल कर्त्तव्यों में भी संशोधन करके संविधान की भाग-19 में एक नया मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

अनुच्छेद 46-समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा और कर्तव्य सम्बधी हितों की अभिवृद्धि

राज्य समाज के दुर्बल वर्गों की विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा तथा आय सम्बधी हितों की विशेष सावधनी से अभिवृद्धि करेगा तथा समाज के अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में न्यायालय का मत

उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम् कर्नाटक राज्य (1992) 3 SCC 666 के मामले में अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।

इस मामले के कर्नाटक राज्य ने राज्य के प्राइवेट मेडिकल कालेजों द्वारा ली जाने वाली ट्यूसन फीस को विनियमित करने के प्रयोजन से-कर्नाटक एजूकेज़न इंस्टिट्यूसन (Prohibition of Capitation Fee) एक्ट 1983 पारित किया। इसके अधीन एक अधिसूचना द्वारा विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित दर से फीस निर्धारित कर दिया। सरकारी कोटे के लिए 20,000 रूपये, कर्नाटक राज्य के छात्रों के लिए 25,000 रूपये और कर्नाटक के बाहर के छात्रों के लिए 60,000 रूपये प्रतिवर्ष की थी। मोहनी जैन ने जो उ0प्र0 की निवासी थी प्रवेश के लिए आवेदन किया, परन्तु विहित फीस 60,000 रूपये न देने के कारण उसका प्रवेश निरस्त कर दिया गया। पिटिशनर ने उक्त अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दिया। पिटिसनर ने तर्क दिया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनु0 21 के अधीन मूल अधिकार है और कॉलेज द्वारा इतनी अधिक फीस विहित करने के कारण उसे इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अतः उक्त अधिनियम असंवैधानिक हैं।

उच्चतम् न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्राण के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी एक मूल अधिकार है और कॉलेजों द्वारा कैम्पिटीशन फीस लेना नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करना अवैध है।

उनी कृष्णनन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1993) 4 SSC 645 के मामले में निजी कॉलेजों के प्रबन्धकों ने मोहनी जैन मामले में दिये गये निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए आवेदन दिया। उनका अभिकथन था कि यदि मोहनी जैन के निर्णय को लागू किया जाता है तो प्राइवेट मेडिकल एवं इन्जीनियरिंग कॉलेजों को बन्द करना पड़ेगा। न्यायालय के पाँच न्यायाधिपतियों की पूर्ण पीठ ने 3-2 (श्री वी0पी0 जीवन रेस्त्री, श्री पाण्डियन और एस मोहन) के बहुमत से मोहनी जैन में दिये गये मत की पुष्टि की शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है और सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व है। किन्तु उस पर एक परिसीमा लगा दिया है कि यह अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सीमित है। उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा।

मोहिनी जैन के इस निर्णय को भी न्यायालय ने नहीं माना कि कैपिटेशन फीस प्रत्येक स्थिति में असंवैधानिक है। यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा देने का दायित्व केवल सरकारी कॉलेजों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति प्राइवेट संस्थाओं को अनुमति देकर भी पूरी की जा सकती है।

चूँकि प्राइवेट संस्थाओं को धन छात्रों से ही मिलता है। मोहिनी जैन का निर्णय सही नहीं है कि इन कॉलेजों के द्वारा सरकारी कॉलेजों से कुछ रकम अधिक लेना कैपिटेशन फीस है। ऐसा निर्णय एक शर्त लगाता है जो वर्तमान में सम्भव नहीं है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाऐं आज के सन्दर्भ में एक आवश्यकता बन गयी हैं किन्तु हमें यह देखना है कि उन पर उचित नियंत्रण रखा जाय ताकि वे शिक्षा का वाणिज्यीकरण न कर सकें। राज्य उनके द्वारा ली लाने वाली कैपिटेशन फीस को विनियमित करे।

एम०सी०मेहता तमिलनाडु राज्य (1996) 6 SCC 756 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि अनुच्छेद 45 के अनुसार बाल श्रमिकों को शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्रदान करें। यह भी निर्देश दिया कि संरक्षक का दायित्व होगा कि वह शिक्षा के लिए केन्द्र व सम्बन्धित राज्य की सरकार यह देखे कि उनके काम की अवधि 4-6 घण्टे से अधिक न हो और प्रत्येक दिन में 2 घण्टे शिक्षा प्राप्त करें व उनकी शिक्षा का सम्पूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करेगा।

स्वतंत्रता के छः दशक बीतने के पश्चात् यह सपना साकार हुआ कि बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधि0-2009 अस्तित्व में आया। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अधिनियम की विशेष बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं कि उनके लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। विधि आयोग ने निजी विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत का सुझाव दिया था। यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्य सभा ने इस बिल को 20 जुलाई 2009 को व लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया तथा 20 जुलाई 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है।

हमारे देश में वर्तमान समय में लगभग 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से वंचित हैं जो एक बड़ी संख्या है।

प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, स्कूलों में सुविधाओं का अभाव, अतिरिक्त स्कूलों की आवश्यकता और धन की कमी का होना अन्य बड़ी चुनौतियाँ हैं। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका के अनुसार विवरण

(1) शिक्षकों के रिक्त स्थान	–	12.6 लाख
(2) मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूल	–	12.9 लाख
(3) स्कूलों में अप्रशिक्षित शिक्षक	–	7.72 लाख
कुल शिक्षकों की संख्या का प्रतिशत	–	40%
(4) छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित अनुपात से 1:30 प्रतिशत अनुपात अधिक	–	50%
(5) अगले 6 वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता	–	5 लाख
(6) कुल व्यय में केन्द्र सरकार का प्रतिशत	–	55%
(7) वर्तमान में रूपयों की आवश्यकता	–	34 करोड़
(8) अगले 5 वर्षों में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु रूपयों की आवश्यकता	–	1.71 लाख करोड़
(9) केन्द्रीय बजट में प्रावधान	–	15,000 करोड़
(10) वित्त आयोग द्वारा आवंटित बजट	–	25,000 करोड़

भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार-इस अधिनियम के क्रियान्वयन में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी। इस कानून के उल्लघंन पर नजर रखने के लिए एक बाल अधिकार आयोग गठित किया जायेगा। भारत ने वैधानिक समर्थन हेतु साथ-साथ एक संभ्रान्त देश की आधारशिला रखने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार दलितों, अल्प संख्यकों ओर बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से प्रयास किया जायेगा। शिक्षा का मुद्दा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अत: इसके लिए सभी स्तरों पर श्रेष्ठ सहयोग की आवश्यकता है।

क्या है यह अधिनियम

- 2 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे जो नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।

- सरकारी स्कूल सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबन्धन स्कूल प्रबन्ध समितियों द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।

- गुणवत्ता सहित प्रारम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के लिए

राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार अधि0 2009 की मुख्य विशेषतायें-बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधि0 की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं:-

- भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा।

- प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जायेगा, निकाला नहीं जायेगा या बोर्ड पास करने की आवश्यता नहीं होगी।

- ऐसा बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष्ा से ऊपर है जो किसी स्कूल में भर्ती नहीं है अथवा है भी तो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसकी आयु के अनुसार उचित रूप में प्रवेज़ दिया जायेगा। बशर्ते की सीधे तौर से प्रवेश लेने वाले बच्चों के आने के लिए उसे प्रस्तावित सीमा के भीतर विशेष प्रशिक्षण दी जानी होगी जो प्रस्तावित है। प्राथमिक शिक्षा हेतु लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।

- प्रवेश के लिए आयु का साक्ष्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेज़ के लिए बच्चे की आयु का निर्धारण उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण 1856 या ऐसे ही कागजात के आधार पर किया जायेगा जो उसे जारी किया गया हो। आयु प्रमाण नहीं होने की स्थिति में किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।

- प्रथामिक शिक्षा पूर्ण करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

- एक निश्चित् शिक्षक छात्र अनुपात की अनुशंसा।

- जम्मू-कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा।

- आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी स्कूलों के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए 25 प्रतिशत का आरक्षण।

- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।

- स्कूल शिक्षक को पाँच वर्षों के अन्दर समूचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा उनकी

नौकरी चली जायेगी।

- ❖ स्कूल का बुनियादी ढाँचा 3 वर्षों के अर्न्तगत सुधारा जाय अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

- ❖ वित्तीय बोझ राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच समझौता किया जायेगा।

विद्यालय की मान्यता के लिए मानदण्ड

क्र.सं0	छात्र की संख्या	शिक्षकों की संख्या
(अ)कक्षा 1 से 5 तक	60 तक	02
	61 से 90 तक	03
	91 से 120 तक	04
	121 से 200 तक	05
	150 से अधिक होने पर	05 शिक्षक व एक प्रधानाध्यापक
	200 से अधिक होने पर	छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक न हो
(ब) कक्षा 6 से 8 तक	35 पर जहाद्य 100 से अधिक हैं।	प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक जिसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक अयाध्यापक (i) गणित व विज्ञान (ii) सामाजिक अध्ययन (iii) भाषायें 01 पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक निम्नलिखित हेतु एक अंक तालिका निर्देशन:- (i) कला शिक्षा (ii) स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा (iii) कार्य शिक्षा के लिए

प्रश्न यह उठता है कि इसे कैसे कार्यान्वत किया जायेगा। वर्तमान में 6 वर्ष 14 वर्ष तक बच्चों की संख्या करोड़ों में है। वर्तमान में राज्य के पास विद्यामान विद्यालयों के संचालन के लिए ही धन नहीं है। केवल विद्यालयों को सरकार मान्यता दे रही है, न कि किसी प्रकार की वित्तीय सहायता। लगभग अधिकांशा माध्यमिक विद्यालय निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाये जा रहे हैं। जहाँ नि:शुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का पूर्णत: व्यवसायीकरण हो गया है। समाज के सँम्पन्न लोगों के बच्चे इन्ही निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार हो जाने के कारण एक व्यक्ति इसे लागू कराने के लिए

न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय से सरकार को आदेश दे सकता है। यदि किसी स्थान पर विद्यालय खुले ही नहीं हैं और खुले हैं तो अध्यापक ही नहीं हैं तो शिक्षा का यह मूल अधिकार प्राप्त करना एक दिवा स्वप्न प्रतीत होता है। राजनीतिक कारण से संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार बना देने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। किसी देश के सन्दर्भ में यह दायित्व केवल सरकार का ही नहीं है समाज की गैर सरकारी इस में संस्थायें पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का संविधान-जय नारायण पाण्डे
2. प्रतियोगिता दर्पण अंक मई 2010
3. करण्ट अफेयर्स अंक जून 2010
4. समाचार पत्र-हिन्दुस्तान, अमर उजाला